

सहमति पत्र

(गैर वन भूमि पर वन मित्र द्वारा वृक्षारोपण की अनुमति हेतु)

मैं-----पुत्र श्री-----,
नीचे उल्लेखित भूमि का मालिक/अधिकृत व्यक्ति हूँ तथा उक्त भूमि में हरियाणा सरकार की वन मित्र योजना के तहत निम्नलिखित वन मित्र द्वारा वृक्षारोपण और उसके 4 वर्षों तक रखरखाव के लिए सहमति देता हूँ/देती हूँ कि यह अवधि वृक्षारोपण वर्ष से चौथे वर्ष तक रखरखाव पूरा होने तक रहेगी, जिसके बाद वन मित्र द्वारा वृक्षारोपण मुझे या मेरे अधिकृत व्यक्ति /उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

वृक्षारोपण के लिए चयनित भूमि का विवरण:

- भूमि का प्रकार (पंचायत/संस्थागत/सरकारी/गैर-अधिसूचित सड़कें/कृषि भूमि):
विभाग/किसान का नाम:-----
जगह का नाम:-----
- वृक्षारोपण के लिए भूमि क्षेत्र (एकड़ में): -----
- लगाए जाने वाले पौधों की संख्या: -----
(8 मीटर की दूरी पर)

यह अपेक्षित है कि वन मित्र, वृक्षारोपण और समझौते की अवधि के दौरान पौधों का भली भांति रखरखाव और सुरक्षा करेगा/करेगी।

वन मित्र का विवरण	मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण
नाम:	नाम:
पिता का नाम:	पिता का नाम:
परिवार पहचान पत्र आईडी:	पद का नाम:
आधार कार्ड नं0:	विभाग का नाम:
गांव:	गांव:
ब्लॉक:	ब्लॉक:
तहसील:	तहसील:
जिला:	जिला:
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षरमय मोहर:
दिनांक :	दिनांक :